

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि जिला कुरुक्षेत्र के गांव लुखी फार्म, सीवरेज फार्म व जिला कैथल के गांव भूना, खुशहाल माजरा, अगौंध, ककेड़ी, सुल्तानिया प्लाट, दाबा, टटीयाना भाग-I, पीडल, चक्कू लदाना, टटीयाना भाग-II और अरनौली में कृषि कार्यों के लिए एक वर्ष (2025-26) के लिए ठेके पर दी जाएगी। जिसकी बोली खुलेआम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के क्रश हॉल में दिनांक 01-05-2025 से 08-05-2025 तक होगी। लुखी फार्म की भूमि लगभग 105 एकड़ है बाकी उपरोक्त सभी गांव की भूमि लगभग 21 से 26 एकड़ प्रत्येक गांव में है। बोली के नियम, शर्तें व कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट: www.kuk.ac.in पर उपलब्ध है। बोली से सम्बंधित जानकारी भूमि एवं कृषि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से भी प्राप्त की जा सकती है।



प्रौफ़ेसर इन्चार्ज

(भूमि एवं कृषि विभाग)

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

सम्पर्क सूत्र: श्री सुखबीर सिंह (फार्म सुपरवाइजर)

दूरभाष न०. 98134-24742

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

नीलामी सूचना

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तहसील थानेसर (कुरुक्षेत्र) व तहसील गुहला (कैथल) के भिन्न-भिन्न गांवों की जमीन की बोली विश्वविद्यालय परिसर में ओडिटोरियम के क्रश हाल (Crush Hall) में खुलेआम निम्नलिखित क्रमानुसार काशत के लिए बतौर लाइसेंस पर दी जाएगी।

क्रम. सं०	स्थान / गांव का नाम	रकबा		बोली की तिथि	समय
		कनाल	मरला		
1.	लुखी फार्म	838	12	01-05-2025	प्रातः 10 बजे
2.	भुना	198	13	01-05-2025	दोपहर 2 बजे
3.	खुशहाल माजरा	201	18	02-05-2025	प्रातः 10 बजे
4.	अगौंध	215	18	02-05-2025	दोपहर 2 बजे
5.	ककेडी	202	19	05-05-2025	प्रातः 10 बजे
6.	सुल्तानिया प्लाट	202	01	05-05-2025	दोपहर 2 बजे
7.	दाबा	206	06	06-05-2025	प्रातः 10 बजे
8.	टटीयाना भाग – I	99	07	06-05-2025	दोपहर 2 बजे
9.	सीवरेज फार्म	164	00	07-05-2025	प्रातः 10 बजे
10.	पीडल	205	01	07-05-2025	दोपहर 2 बजे
11.	चक्क लदाना	199	17	08-05-2025	प्रातः 10 बजे
12.	टटीयाना भाग – II	38	02	08-05-2025	दोपहर 12 बजे
13.	अरनौली	198	04	08-05-2025	दोपहर 02 बजे

बोली की शर्तें :

- बोली के समय पर केवल बोली दाता को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- भूमि एक साल के लिए बतौर लाइसेंस पर दी जा रही है।
- भारत सरकार के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था 2,00,000/- रुपये से अधिक नगद का लेन-देन नहीं कर सकता। इसलिए सफल बोली दाता को पूरी रकम RTGS के रूप में कुलपति महोदय के खाता न0 10139650221 बैंक का कोड IFSC- SBIN0001600 भारतीय स्टेट बैंक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सफल बोलीदाता को बोली के दिन से लेकर तीन दिन के अंदर-अंदर बोली की पूरी रकम जमा करवानी होगी। अगर सफल बोलीदाता इन तीन दिनों के अंदर बोली की पूरी रकम नहीं जमा करवाता है तो उसकी जमा की गई सिक्यूरिटी जफ्त कर ली जाएगी। और जमीन की बोली दोबारा की जाएगी।
- बोली की रकम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खाते में आने के बाद ही सफल बोली दाता कृषि योग्य भूमि को लाइसेंस पर लेने का हकदार होगा।
- सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय की भूमि दूसरे व्यक्ति को देने का हक नहीं होगा।
- लाइसेंस का समय 15-05-2025 से 14-05-2026 तक होगा। लाइसेंसदार को भूमि एक साल के समय की समाप्ति पर खाली करनी होगी और लाइसेंस की समाप्ति के आखिरी दिन के बाद यानि 14-05-2026 को विश्वविद्यालय का कब्जा होगा। इसके बाद यदि भूमि में कोई भी फसल खड़ी होगी अथवा खेती के औजार मशीन आदि लगी रह जाएगी तो उस पर विश्वविद्यालय का अधिकार होगा तथा लाइसेंसदार को कोई हक नहीं होगा कि वह अपने सामान को उठा सके।
- लाइसेंसदार को भूमि में से मिट्टी उठाने की इजाजत नहीं होगी।
- भूमि पर किसी किस्म के नाजायज कब्जे की जिम्मेदारी लाइसेंसदार की होगी।
- लाइसेंसदार को अपने खर्च पर पानी की नालियाँ आदि बनानी होगी।
- लाइसेंसदार केवल कृषि कार्यों के लिए ही भूमि का इस्तेमाल कर सकेगा।
- लाइसेंसदार को बोली का शर्तनामा लिखवाने के लिए 200/- का स्टाम्प पेपर दफ्तर में देना होगा।
- ऐसे व्यक्ति को बोली देने का अधिकार नहीं होगा, जिसने अभी तक पिछला बकाया रुपया नहीं दिया है।
- जिन गांवों में विश्वविद्यालय ने ट्यूबवैलो पर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है लाइसेंसदार को बिजली का वर्षभर का खर्च फ्लैट रेट/बिजली विभाग की दरानुसार अग्रिम जमा करना होगा।
- यदि किसी लाइसेंसदार ने अपनी मर्जी से कोई भी ट्यूबवैल लाइसेंस के समय में लगवाया तो उसका खर्चा विश्वविद्यालय वहन नहीं करेगा।

15. जिस गांव में बिजली द्वारा संचालित ट्यूबवैल लगवाये गये हैं उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी लाइसेंसदार की होगी और वह ट्यूबवैल तथा उससे सम्बंधित मशीनरी इत्यादि ठेके की समाप्ति पर चालू-हालत में देगा। लाइसेंसदार को ट्यूबवैल चलती हालत में लेते समय रुपये 40,000/- व जिस गांव में दो ट्यूबवैल हैं उसके 80,000/- की धरोहर राशी नकद भूमि एवं कृषि विभाग में जमा करानी होगी। ठेके की समाप्ति पर चलती हालत में ट्यूबवैल देने पर धरोहर राशी वापिस कर दी जाएगी।
16. लाइसेंसदार को बिजली का बिल बिजली विभाग में जमा करना होगा और रसीद भूमि एवं कृषि विभाग को दिखानी होगी व ट्रांसफॉर्मर को लाइसेंस समय में कोई भी किसी किस्म का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद/स्वयं लाइसेंस धारक की होगी।
17. लुखी फार्म पर छः ट्यूबवैल चलती हालत में है तथा बिजली का कनेक्शन है। लुखी फार्म पर एक गैरेज तथा 2 कमरे हैं और फार्म यार्ड (खलियान) की भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाएगा। तथा वहां पर लगे पेड़-पौधे सुरक्षित रखने होंगे। ट्यूबवैल तथा मकान आदि जिस हालत में है उसी हालत में यानि चलते तथा दुरुस्त हालत में देने होंगे। ट्यूबवैल तथा भवनों आदि की Security (2,40,000/-) दो लाख चालीस हजार रुपये अग्रिम जमा करवानी होगी जो बाद में ठेका समाप्ति पर वापिस कर दी जाएगी। फार्म पर लगे पेड़ आदि जितनी संख्या में है और जिस हालत में है उसी अवस्था में वापिस करने होंगे।
18. बोली सुरु होने के बाद कोई भी बोलीदाता कमरे से बाहर नहीं जाएगा। जब तक बोली समाप्त नहीं हो जाएगी। अगर कोई बोलीदाता बाहर जाएगा तो उसको बोली देने का अधिकार नहीं होगा।
19. अगर कोई बोलीदाता बोली के समय में एक दूसरे से झगड़ा या मारपीट, गाली-गलौच आदि करेगा तो उसकी सिक्योरिटी जपत कर ली जाएगी और उसको बोली से बाहर कर दिया जाएगा ऐसे बोलीदाता को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और उसके विरुद्ध कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।
20. किसी भी बोलीदाता या अन्य को बोली के समय में किसी भी तरह का हथियार लाने का अधिकार नहीं होगा अगर किसी के पास हथियार होगा तो उसको बोली से पहले KUK थाने में जमा करवाना होगा।
21. किसी भी लाइसेंस को ट्यूबवैल के बोर में वर्षा का पानी या अन्य पानी उतारने का हक नहीं होगा अगर ऐसा किया तो ट्यूबवैल का पूरा खर्चा लाइसेंस को देना होगा अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी।
22. अगर लाइसेंस के समय में ट्रांसफॉर्मर या अन्य कोई सामान चोरी होता है तो उसका खुद लाइसेंस जिम्मेवार होगा।
23. कोई भी लाइसेंस अपनी फसल के अवशेषों (फणे ठूठ आदि) को नहीं जलायेगा। क्योंकि यह कानूनी अपराध है अगर कोई लाइसेंस दोषी पाया जाता है या उस पर कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो वह लाइसेंस स्वयं जिम्मेदार होगा।
24. यदि अन्य कोई शर्त होगी तो वह बोली के समय सुना दी जाएगी।
25. माननीय कुलपति महोदय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किन्हीं कारणों से अत्याधिक बोली को भी रद्द कर सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

श्री सुखबीर सिंह (फार्म सुपरवाइजर) 09813424742


03/04/25
प्रोफेसर इन्चार्ज

(भूमि एवं कृषि विभाग)

पु.क्र.:कृ0&भू0/2025/नीलामी/ 1866-2365 दिनांक 04/04/2025
प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1 डिप्टी कमिशनर व पुलिस अधिक्षक, कुरुक्षेत्र, कैथल।
- 2 एस. डी. एम., डी.एस.पी.; तहसीलदार, बी.डी.ओ. तथा सचिव नगरपालिका, थानेसर, गुल्हा।
- 3 उपरोक्त भूमि से सम्बंधित पटवारी, सरपंच, नम्बरदार, चौकीदार तथा पिछले काश्तकार गांव के सरपंच तक प्रार्थना की जाती है कि वे अपने गांव में मुनादी करवाकर सभी को सुचना दें देवे। इसकी फीस चौकीदार को बोली के समय मौके पर दे दी जाएगी ताकि बोली में ज्यादा से ज्यादा बोलीदाता पहुंच सके।
- 4 एक प्रति निजी सचिव कुलपति महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है।
- 5 एक प्रति अधिक्षक दफ्तर कुल सचिव, कुल सचिव महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है।


प्रोफेसर इन्चार्ज
(भूमि एवं कृषि विभाग)